खण्ड-192, अंक-6
शनिवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(1 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार १ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४१)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराव, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदी लाल, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धर्मा राम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री (बरेली)
नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सिरादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखधन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेश बहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुलतान आलम खां, श्री
सूरजचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
होरी लाल यादव, श्री

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द---]

था जब कि जहांगीराबाद ने लिया था, उसके मुताबिक सन् १९६६ में किराये का रिवीजन होना था। ये लोग कहते थे कि हमसे १९६६ तक वही किराया लिया जाय। यह सवाल गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ था। उसमें भी देर लगती। इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर ने मकान बनने का काम नहीं रोका। और हुआ यह कि वे काग़जात जब आखिर में गवर्नमेंट के पास आये तो उस बीच में कई लोग मिले। सयद अली जहीर साहब उस वक्त उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उनसे लोग मिले। आखिर में माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी ने २४ दिसम्बर, १९५७ को यह आर्डर दिया कि ७५० रुपये हर आदमी से लिये जायं। दूसरी चीज यह कि उनका किराया ड्योढ़ा कर दिया जाय। यद्यपि किराय का रिवीजन १९६६ में होता, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि तब तक इन्तजार न किया जाय, इसी वक्त ड्योढ़ा कर दिया जाय . . . .

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर। माननीय मुख्य मंत्री जी किसी डाक्युमटरी आधार पर ये सब बातें कह रहेहैं। तो मै आपसे निवेदन करूंगा कि जिन डाक्युमेंट्स के आधार पर उन्होंने यह कहा है वे सब डाक्युमेंट्स यहां पर मंगाये जायं . . . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस डाक्युमेंट के आधार पर ये कह रहे हैं उस डाक्युमेंट को जब तक पूरा न रखा जाय तबतक इस तरह की बातें यहां नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से नहीं कह सकते। मैंने जब उनको इजाजत दी है कि उसका स्पष्टीकरण दें तो उनको कहने का अधिकार है।

श्री राजनारायण—आपने तो एक ही प्वाइंट के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—आपने म्युनिसिपैलिटी के कागजात का इंसपेक्शन किया और आपने एक नकल उसकी मुझे दे दी, इसलिये उनको भी अपने इन्सपेक्शन की बात बताने का यहां पर अधिकार है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो २४ जुलाई को एल० एस० जी० के मन्त्री श्री विचित्र-नारायण जी शर्मा ने यह आर्डर दिया कि ५० रुपये के बजाय ७५ रुपये उनसे लिया जाय यानी ७५० रुपया उनसे लिया जाय। फिर यह फाइल फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास गई, क्योंकि जमीन नजूल डिपार्टमेंट की होती है तो उसके लिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास जाना जरूरी है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने २१ अगस्त को उसकी मन्जूरी दी। २३ अगस्त को इस बात की सूचना यहां से म्युनिसिपल बोर्ड के पास भेजी गई। इस सूचना के आने के बाद, कई महीने बाद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सोसायटी को १४ सितम्बर को यह सूचना दी कि आपको इतना रुपया जमा करना होगा। इतना रुपया दिया जाय तो फिर आपके नाम म्यूटेशन किया जाय। सोसाइटी ने रुपया जमा किया। रुपया जमा होने के बाद म्युटेशन हुआ। हिसाब लगाया गया कि एक-एक आदमी को कितना रुपया देना है, तो जितनी जमीन एक आदमी के पास रही उसके हिसाब से उतना रेन्ट उन लोगों से लिया गया।

जब यह सब कार्यवाही हो गई तब उसके बाद ५ दिसम्बर को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने म्युनिसिपल बोर्ड को लिखा कि हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जितनी कार्यवाही जरूरी थी वह सब हो गई है। रुपया इनसे ले लिया गया है। ले आउट हो गया, सड़क निकालने, सीवर बनाने, बिजली लगाने का जो काम था वह सब प्रबन्ध हो गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। अब इनको दिया जा सकता है। तब उसके बाद १६ दिसम्बर को नकशा मन्जूर हुआ। इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि १२ महीने इम्प्रूवमेंट में लग गये। इंजीनियर ने यह रिपोर्ट दे दी थी तो ऐडमिनिस्ट्रेटर ने उसको मन्जूर किया। जो नजूल वाली बात है उस में

मेरे कानों तक पहुंची है। कोई अगर बहुत गरीब आदमी हो, जो कि मोहताज हो, अगर वह गलत काम कर बैठता है तो उसको हम कस दें तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन जो ऊंचे दर्जे का अफसर है वह अगर गलत काम से छूट जाय, तो यह अच्छी बात नहीं है। मैंने इस मामले को अपने हाथ मे ले लिया है। अगर सचमुच इस बात का प्रमाण मिलता है कि बहुत गलत कार्यवाही हुई, जो नहीं होनी चाहिये और जो शोभा नहीं देती और इसके आगे अगर लीगल कार्यवाही करने की गुंजायश हुई तो हम उसको करेंगे।"

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अर्ज करना है, सिर्फ एक सेकेंड।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जब तक मैं फैसला न दे लूं तब तक किसी को बोलने की इजाजत में नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं इसी सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री त्रिलोकीसिंह—जैसी आपकी मर्जी।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री ने संबंधित विषय में स्वयं जांच कर ली और इस सम्बन्ध में उक्त कमेटी के सामने जो जवाब भेजा, वह कमेटी द्वारा सन्तोषजनक पाया गया। इसके बाद इस विषय पर प्रश्न श्री चन्द्रजीत यादव ने किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि हमने इसकी तहकीकात कर ली, लेकिन फिर राजनारायण जी की उनसे इस बारे में बातचीत हुई। तो जहां तक सवाल है जांच करने का, यह तो जांच करने वाले का ही अधिकार है कि वह किसी चीज को महत्व देता है, किसी चीज को नहीं देता है यानी वह उसके अधिकार की बात है। उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया कि मकान बनाने का काम नक्शा मंजूरी के पश्चात् हुआ अथवा उसके पहले प्रारम्भ हुआ। वे खुद कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन की कार्यवाही नक्शा पास होने के पहले हुई। लेकिन इस विषय में कई एक भयंकर चार्जेज थे जो राजनारायण जी द्वारा लगाये गये थे। एक तो पानी मुफ्त लेने का, दूसरा ६ आने फुट या गज के हिसाब से जमीन अनुचित तौर पर प्राप्त कर लेने का, तो इन बातों का महत्व उन्होंने समझा और उन्होंने उसकी तहकीकात की और उन्होंने अपने भाषण द्वारा भी इसका स्पष्टीकरण किया कि ये बातें गलत थीं। इसलिये नक्शे के बारे में कहना कि नक्शा बाद में मंजूर आ उनकी दृष्टि में महत्व नहीं रखता था। उसकी मंजूरी के लिये तीन म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स सम्बन्ध रखते हैं। एक तो म्युनिसिपैलिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट और तीसरा नजूल डिपार्टमेंट। अगर नजूल की जमीन के इनक्रोचमेंट का कोई सवाल हो या सरकार की जमीन पर कोई चीज बनने वाली हो, तो उसका सम्बन्ध नजूल डिपार्टमेंट से भी होता है। इस विषय में दो डिपार्टमेंटस् ने, हेल्थ डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने नक्शे को देख लिया था कि मकान के नक्शे में कोई एतराज की बात नहीं है, बाईलाज के खिलाफ। नजूल डिपार्टमेंट के सामने सिर्फ इस बात का प्रश्न था कि जमीन लीज होल्ड होने की वजह से उसका लीज-रेंट कितना बढ़ाया जाय और इस कारण प्रश्न को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास उन्होंने भेज दिया था। इन बातों को सामने रखते हुये मुख्य मंत्री ने नक्शा मंजूरी के पहले मकान बनना प्रारम्भ हो जाने पर महत्व नहीं दिया और इस चीज को उन्होंने मंजूर किया है कि नक्शा मंजूर होने से पहले मकान बने, इस घटना का उन्होंने इन्कार नहीं किया है। आपने भाषण में भी उन्होंने इसका स्पष्ट जिक्र नहीं किया और न अपने स्पष्टीकरण में ही इस बात पर ध्यान दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि नक्शा पास होने के पहले ही मकान बने थे। परन्तु उनकी दृष्टि से उसे महत्व उन्होंने नहीं दिया और अपने भाषण में भी नहीं कहा। तो ऐसी अवस्था में जानबूझ कर सदन को मुगालते में डालने का कोई प्रश्न उठता नहीं है और मैं समझता हूं कि आज के उनके स्पष्टीकरण के बाद विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उनके खिलाफ उठाया नहीं जा सकता।

[श्री अध्यक्ष]

अब दूसरा सवाल यह रहता है कि सिविल सर्वेन्ट्स के खिलाफ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि उन्होंने गलत बयानी की ? जब माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उन को मालूम था तो गलतबयानी का प्रश्न नहीं उठता । पहली बात तो यह स्पष्ट हुई । दूसरी चीज यह है कि अगर कभी गलत बयानी हो भी तब भी मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सिविल सर्वेन्ट का ताल्लुक और इस आदरणीय सदन का ताल्लुक या कन्टैक्ट जिस प्रकार का है उसमें जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की बात है, वह हर मामले में नहीं उठ सकता । अगर मान लिया जाय कि कोई झूठी बात कोई सिविल सर्वेन्ट किसी मिनिस्टर से कह देता है और इस आदरणीय सदन में उस आधार पर अगर कोई बात कही जाती है तो विशेषाधिकार का प्रश्न उस कर्मचारी के स्ट्रेंजर होने के कारण उसके खिलाफ नहीं उठ सकता, स्ट्रेन्जर इसलिये क्योंकि सदन से उसका कन्टैक्ट उस घटना में प्रत्यक्ष नहीं आता । अब वह कब आता है ? सिविल सर्वेन्ट सदन का सदस्य नहीं है, वह पराया आदमी है, वह कन्टैक्ट में ऐसे आ सकता है जैसे दर्शक दीर्घा से कोई बोलना शुरू कर दे, ताली पीटना शुरू कर दे तो वह हमारे कन्टैक्ट में आ जायगा क्योंकि वह हमारे काम में अड़चन डालता है, रोड़ा अटकाता है, तो ऐसे आदमी के खिलाफ हम कार्यवाही कर सकते हैं । बाकी किसी कमेटी के सामने किसी कर्मचारी को गवाही के लिये बुलाया और उस ने झूठ बोल दिया तो उसके विरुद्ध आप विशेषाधिकार की अवलहेना का प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन जहां पर सिविल सर्वेन्ट केवल अपने अफसर के साथ कन्टैक्ट में आता है या मिनिस्टर उस की जांच करता है और वह उसे मुगालते में डालता है तो आप मिनिस्टर से कह सकते हैं कि उसको सजा दो । मेरे पास एक किताब है जिसमें लन्दन में इस विषय में जो ट्रेनिंग के समय लेक्चर हुये उसका उद्धरण है । वह इस प्रकार है :-

"Asked what powers a Minister had over the officers of the administrative grades, Sir Thomas said that the Minister had complete ultimate control, being formally their employer ; he could, at any rate in theory, dismiss them ' at pleasure'. But by tradition a civil servant was permanent and pensionable, and dismissible only for inefficiency or breach of discipline."

इस तरीके से मंत्री अनुशासनहीनता और गलत बयानी पर सिविल सर्वेन्ट को दंड दे सकता है । अप्रत्यक्ष कन्टैक्ट के बारे में यह एक मोटी सी बात है कि सिविल सर्वेन्ट अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिश करने के लिये जो आप की एक्जिक्यूटिव अथारिटी है यानी मंत्रिमंडल उस को आप प्रेस कर सकते हैं, उसके द्वारा इन्कवायरी कमेटी बिठा सकते हैं, उसके द्वारा आप कुछ भी करा सकते हैं और अगर सदन का बहुमत यह चाहता है तो जिम्मेदार सरकार से सब काम करा सकता है, और कर्मचारियों को दंड दिला सकता है । लेकिन विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उठ सकेगा जब कि सदन से उस कर्मचारी का संबंध प्रत्यक्ष हो जाय और सदन में अथवा सदन की किसी कमेटी विशेष के सामने वह झूठी बात कहे । यही चीज सदस्यों के लिये भी लागू है, अगर कोई सदस्य जान बूझकर झूठ बोला तो विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल उठ सकता है । इस संबंध में स्पष्टीकरण के हेतु मैं एक और उदाहरण दूं, सदन के कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां जाकर किसी विषय पर जांच करते हैं और किसी आदमी ने उन से कह दिया कि फलां आदमी ने यह बात की और उसी आधार पर सदन में किसी ने कह दिया कि फलां वाकया हुआ और सरकार देखती नहीं कि कैसी ज्यादतियां हुई और बाद में मालूम हुआ कि वह बात झूठी थी । मान लीजिये कि श्री राजनारायण को किसी व्यक्ति ने झूठी खबर दी थी तो क्या जिस आदमी ने गलत इत्तला दी उसके खिलाफ आप विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठायेंगे ? या राजनारायण जी के खिलाफ उठायेंगे ? मैं समझता हूं कि राजनारायण जी के खिलाफ तभी उठेगा जब राजनारायण जी जानबूझ कर असत्य बात कह रहेहों और उस आदमी के खिलाफ जब तक वह सदन के प्रत्यक्ष कन्टैक्ट में नहीं आया तब तक उसके खिलाफ नहीं आ सकता ।

जो चीज इस बात के लिये लागू है वही चीज मैं समझता हूं कि हर एक स्ट्रेंजर के लिये लागू है। जो लोग यहां सदन में मौजूद नहीं होते हैं उनके खिलाफ आक्षेप भी नहीं करना चाहिये। इसीलिये यह हम लोग कहते हैं कि जब तक की पूरी जांच न हो जाय या पूरी बातें स्पष्ट न हो जांय तब तक एकदम से भाषण में उनका जिक्र न आना चाहिये। लिखित रिपोर्ट इस विषय में अगर मंत्रीगण को दे दी जाय कि वह इसकी जांच करें और फिर मंत्रीगण के ऊपर भी बोझा डाला जाय तो उचित होगा। अगर सदन समझे कि किसी विषय में इन्क्वायरी के लिये कमेटी बैठे तो इन्क्वायरी कमेटी बिठायें। ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन सदन के अवमान का प्रश्न किसी भी हालत में ऐसी अवस्था में सिविल सर्वेन्ट्स के खिलाफ नहीं लाया जा सकता।

यह मेरा निर्णय इस विषय में है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालेवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण सिंह जी के विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपने जो अपनी व्यवस्था दी है उसे मैं शिरोधार्य करता हूं। उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कल से आज तक जो बहस यहां हुई है उसे सुन कर मेरे मस्तिष्क में दो प्रश्न पैदा होते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जो अभी पढ़कर सुनाया गया वह संतोषजनक नहीं था। माननीय न्याय मंत्री जी ने जो कल इत्तला दी थी वह भी सही नहीं थी। लेकिन मैं इन दोनों प्रश्नों को भी यहां नहीं उठाना चाहता हूं।

मैं तो आपके द्वारा मुख्यतः सदन के नेता से मुख्य मंत्री की हैसियत से एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जैसा आप ने स्वयं निवेदन किया, मामला बहुत संगीन है। आरोप बहुत संगीन लगाये गये हैं। और आपने यह भी निवेदन किया कि सदस्यों को यह अधिकार है कि विशेषाधिकार का प्रश्न न उठायें, लेकिन मिनिस्टरों पर यह दबाव डाला जाय कि इस पर पूरी, पक्की और निष्पक्ष जांच जिसका जनता में विश्वास हो करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये वह कोई जांच कमेटी मुकर्रर करें या ये जांच कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये इस पर वाद-विवाद के लिये कोई समय दे दें। इन दोनों बातों में से एक कोई बात स्वीकार करते हैं तब तो बड़ी कृपा होगी। अगर इसको नहीं स्वीकार करते हैं तो, जैसा कि मैंने कहा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है उस पर स्पष्टीकरण के बजाय मामला और अस्पष्ट हो गया है, कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड (confusion worse confounded) हो गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह इन दोनों में से किसी बात को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष---आपकी बात उन्होंने सुन ली।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक निवेदन आपके द्वारा करना चाहता हूं। इस पर तो व्यवस्था हो हो गई है। पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पास अब भी बहुत से तथ्य हैं और पूरे सब फीगर, एकाउंट लगा करके हिसाब है इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई न कोई इसके लिये इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी कमेटी बिठायें या कोई हाईकोर्ट के जज को नियुक्त करें जो कि तमाम मामले की जांच करे। मैं आपके द्वारा उनसे चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह अपनी राय अगर हमको दे दें तो हम और भी बहुत सा मैटर देंगे क्योंकि जब से यह मामला चल रहा है इसी लखनऊ शहर के रहने वाले जानकर लोगों की रिपोर्ट हमारे पास है। मैं उसको भी किसी इंडेपेंडेंट कमेटी, या सदन, या हाईकोर्ट जज की सेवा में रखूंगा। इतने राज मिलेंगे जो मुंदड़ा कांड से भी भयंकर होंगे।

श्री अध्यक्ष---आपने बता दिया। मेरा कहना है कि आप कृपा करके जो आपकी शिकायत हो माननीय मुख्य मंत्री के पास या जो संबंधित मंत्री हों उसके पास लिखित भेज दें।

दूसरी चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आजकल के युग में आम जनता यह पसन्द नहीं करती है कि प्रिविलेजेज आप अपने बढ़ाते चले जायें, या सदस्य कोई विशिष्टता रखें। खतरे का भी सामना आदरणीय सदन के सदस्यों को लेना चाहिये, अगर किसी के ऊपर चार्जेज

[श्री अध्यक्ष]

तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कामरोको प्रस्ताव भी ला सकते हैं, नो-कांफ़ीडेन्स मोशन भी आ सकता है कि फलां मंत्री ने यह कार्यवाही नहीं की, इसलिये सदन का उनपर विश्वास नहीं रहा। इतना अधिकार होते हुये सिर्फ़ आक्षेप ही करते रहना उन लोगों पर जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं, यह मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा। इसलिये मैंने यह संकेत किया है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे एक मिनट का मौका दिया जाय। मैं बहुत ही नम्रता के साथ आप से कहना चाहता हूं कि हमने दो पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखे हैं। हमने लिखा है---श्री गोविन्दनारायण को चीफ़ सेक्रेटरी मत नियुक्त कीजिये जब तक कि चार्जेज की सफाई न हो जाय और मैं आपके द्वारा फिर कहता हूं कि जब तक डिफेमेशन केस न चले तब तक के लिये श्री गोविन्दनारायण मुअत्तल कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। मैं जानता हूं कि जनतंत्र में बहुमत सरकार बनाता है, आप तो सुपर सरकार माइनारिटी की बना रहे हैं और आप सुपर सरकार के नेता बनना चाहते हैं जिसमें जो आप हुक्म देते चले जायं वह सरकार करती चली जाय। इस प्रकार तो सरकार नहीं बनेगी।

श्री उग्रसेन---एन्क्वायरी कमेटी के लिये माननीय मुख्य मंत्री कुछ आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष---आप उनसे उत्तर मांग सकते हैं।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रथम भाग)

श्री अध्यक्ष---अब सभापति, आश्वासन समिति उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत करेंगे।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश के द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन समिति जो निर्मित हुई है यह हमारे प्रान्त के लिये एक नयी चीज है। यों तो इस से पहले इसका निर्माण २१ अक्तूबर, १९५५ में हुआ था और उस समय उसके सामने ३३८ आश्वासन आ चुके थे। वह समिति जनरल एलेक्शन्स के होने से अधिक समय तक काम न कर सकी और उसका विघटन हो गया। ये आश्वासन जो होते हैं उनके सम्बन्ध में कुछ रूप नियमावली में दिये हुये हैं। सदन में जो मंत्रिगण, उप मंत्रिगण या सभा-सचिव किसी बात के लिये आश्वासन देते हैं तो वह चीज समिति के सामने जाती है और वहां उस पर विचार होता है। मैं चाहूंगा कि सदन इसके महत्व को समझे। अभी तक जो हमारी प्रक्रिया नियमावली थी उसके अन्दर कोई ऐसे साधन हमारे पास नहीं थे जिनके अनुसार हम यह देख सकते कि जो आश्वासन इस सदन में समय समय पर मिलते रहे उनकी पूर्ति कहां तक हुई, हुई भी या नहीं हुई। लेकिन आश्वासन समिति द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि जो आश्वासन यहां दिये जायं उनका परीक्षण किया जाय और देखा जाय कि किस हद तक वे आश्वासन पूरे हुये और जो पूरे हुये वे विलम्ब से हुये, यदि विलम्ब से हुये तो कितने विलम्ब से हुये।

श्रीमन्, यह दूसरी कमेटी सितम्बर, १९५७ में बनी और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस समिति का उद्घाटन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमको यह बतलाया था कि जो आश्वासन पिछले सदन को दिये गये थे उस सदन के विघटन हो जाने से पिछले आश्वासन विघटित नहीं हो जाते, लिहाजा इस समिति को पुराने आश्वासनों पर भी विचार करना पड़ा जिसके कारण हम लोगों के सामने काफी काम आ गया। १०८९ आश्वासन हमारे सामने थे। काफी बड़ी समस्या थी। आश्वासन समिति ने यह विचारा कि

श्री अध्यक्ष—आप इस बारे में बतायें कि विरोधीदल के नेता के नाम से कटमोशन आना चाहिये या नहीं ।

श्री खूब सिंह—मैं यह मान कर चल रहा हूं कि विरोधी दल के नेता जो अधिकार मांग रहे हैं, यह गलत है । उसे इस हाउस को नहीं देना चाहिये और उसके ऊपर न इस सदन को विचार ही करना चाहिये । मैं इस दृष्टिकोण को लेकर चल रहा हूं और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो इस तरफ के बैठने वाले हैं, या उस तरफ के बैठने वाले हैं जो भी इस सभा के सदस्य हैं, उन सब को अधिकार है कि वे कट मोशन पेश कर सकें । वे कट मोशन पेश करने में सुझाव भी दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि कांग्रेस वालों को भी, जो गवर्नमेंट पार्टी के लोग हैं, उनको कट मोशन पेश करने का अधिकार होना चाहिये और नोटिस के हिसाब से उनको भी मौका मिलना चाहिये ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो वादविवाद यहां पर छेड़ा गया है, व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी के लिये, यह रोचक और प्रिय विषय नहीं है । जहां तक परम्परा का प्रश्न है, जो परम्परा ६ वर्ष से कायम रही, उसको देखने और समझने का अनुभव मुझको भी प्राप्त हुआ । उसके बारे में तिवारी जी ने काफी स्पष्ट कर दिया । इसलिये जब वह परिपाटी बदली हुई मैंने देखी तो मुझे भी थोड़ा सा खटका । मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन मैंने यह अनुमान लगाया कि सम्भव है इस प्रकार की बातचीत विरोधी पार्टियों में हुई हो कि जो कटमोशन को मूव करने वाला हो, उसी के नाम से कटमोशन आये । कल इस पर कुछ बातें हुईं, लेकिन आज जो माननीय नेता विरोधी दल ने आपत्ति पेश की है, मैं उससे दुःखित हूं और चाहूंगा कि आप यह बताने का कष्ट करें कि आपके विभाग से अगर यह परिपाटी बदली गई तो कैसे हुआ । जो परम्परा अब तक रही वह बदली तो क्यों बदली, इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा । जैसी कि हमारे और कई साथियों ने भी बात कही है, मैं भी चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधीदल इसको वापस ले लें और आपके कमरे में बैठकर विरोधीदलों के नेता लोग यह तय कर लें कि जो पहले से परम्परा रही है, वही उचित होगी अथवा क्या । मैं समझता हूं कि कटमोशन के मूव करने की जो परम्परा पिछले सालों में रही है अगर वही जारी रहे तो कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष—वापस लेने की जरूरत नहीं है । एक रोज मैं निमंत्रण दे दूंगा, उस रोज सब लोग बातचीत कर लें ।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस सदन का दुबारा समय लूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि आज के लिये हमारा प्रोग्राम रायबरेली जाने का था । रास्ते में मुझे मालूम हुआ कि पालीवाल जी ने मुझे याद किया है, तो मैं उतर कर चला आया । अब प्रश्न यह है कि, आपके सामने मैं पूरी बात रखना चाहूंगा । श्रीमन् यह भी स्मरण करें कि बनारस जेल से एक पत्र मैंने आपकी सेवा में भेजा था । पारसाल भी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने उपाध्यक्ष की हैसियत से यह तय किया था कि कटमोशन कौन मूव करे, कौन न करे । इस पर मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया था कि अखबारों के पढ़ने से मुझे पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है कि कैसे व्यवस्था हुई । लेकिन मैंने अपनी सम्मति आपकी सेवा में लिख कर भेज दी थी और मुझे याद है कि श्री त्रिलोकी सिंह, माननीय नेता विरोधी दल के पास भी मैंने एक पत्र भेजा

[श्री राजनारायण]

था और उनसे निवेदन किया था कि इस स्टेज पर आप यह प्रश्न कैसे उठा सकते हैं, क्यों उठा रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल जब वह उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद आपके कमरे में बैठे हुए थे, उस सम्बन्ध में बहुत बातें हुईं और उनके कथन के मुताबिक ही यह वर्तमान प्रथा चली। जो परम्परा की बात माननीय नारायण दत्त जी ने की और जो माननीय नेता विरोधी दल के संकेत पर बोले कि जब तक वे मेरे अनुयायी थे, मेरे नेता रहने पर उन्होंने गौरव का अनुभव किया।

श्री अध्यक्ष---पिछली कौन सी परम्परा कायम हुई है?

श्री राजनारायण---उसी पर मैं आ रहा हूं। वे कह रहे हैं कि उनको बड़ा सौभाग्य हासिल था जब मैं नेता विरोधी दल था और वे भी हमारे दल के एक सम्मानित सदस्य थे। हमको भी यह गौरव हासिल था कि जब मैं नेता विरोधी दल था तो माननीय नारायण दत्त जी हमारे दल के सम्मानित सदस्य थे और हम अब भी वह गौरव हासिल करना चाहते हैं कि वे हमारे साथ आवें। श्रीमन्, मैं उनसे यह निवेदन कर रहा हूं कि चाहे प्रथा जो कुछ रही हो, लेकिन जब तक मैं नेता विरोधी दल था तब भी मैं सजग था और पहले ही नम्बर पर हमारा कटमोशन पेश होता था। इसलिये पहले हमारा नाम आता था।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि आप का नाम पहले केवल नेता विरोधी दल की हैसियत से नहीं आता था।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं इतना सजग था कि कभी चूकता नहीं था और हमेशा बजट भाषण के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव सब से पहले रखता था।

एक सदस्य---क्यों चूक गये?

श्री राजनारायण---क्यों चूक गया, यह मैं बतलाता हूं। हमने रईसे आजमगढ़ को बतला दिया था।

श्री अध्यक्ष---समय दो-तीन मिनट ही है।

श्री राजनारायण---इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर कहा जाय तो मैंने उसकी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं की कि नेता विरोधी दल की हैसियत से हमारा नाम पहले आता था या हमारा पर्चा पहले चला जाता था इसलिये आ जाता था। इसकी जानकारी मैं करना चाहता हूं। अपनी सजगता के बारे में मैं बतला दूं।

श्री अध्यक्ष---अब आप जल्दी खतम करें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने ३ मिनट दिया था, उसमें भी अभी आधा मिनट ही हुआ है। श्रीमन्, यहां पर मैं बहुत सी चीजों को उठाने वाला हूं और समय आने पर उठाऊंगा। अगर पार्लियामेंटरी पद्धति को देखा जाय तो केवल संख्या के आधार पर किसी विरोधी दल को मान्यता प्राप्त करना काफी नहीं है। श्रीमन्, सरकारी पार्टी और विरोधी पार्टी में फंडामेंटल डिफरेंस होना चाहिये लेकिन पी० एस० पी० में और कांग्रेस पार्टी में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। दोनों के घोषणा-पत्रों को उठा कर देख लिया जाय, दोनों का एक सा ही है।

श्री अध्यक्ष---मैं इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह बात मैं समय आने पर उठाऊंगा, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को उठाने की जरूरत नहीं है और माननीय त्रिलोकी सिंह, श्री मारकंडे राय की सलाह मान कर उस प्रश्न को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है, आप खतम करें, ये चीजें यहां इस समय न उठें तो अच्छा है।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दुर्भाग्य है कि जब में कुछ कहना चाहता हूं तो एक तो पैर की मजबूरी और दूसरे पार्लियामेंटरी पद्धति मेरे बीच में आ जाती है। मेरी यह आदत नहीं है कि जब तक मैं स्पीकर का इशारा न पा लूं तब तक अपना बोलना शुरू कर दूं। य मेरी दो कमजोरियां हैं।

श्री अध्यक्ष---इस आदत को कायम रखें तो अच्छा है।

श्री त्रिलोकी सिंह---जहां तक इस व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है उसके विषय में मैं अधिक कहना नहीं चाहता लेकिन मेरा हवाला कुछ माननीय नेताओं ने जो कई दलों के हैं इस सदन में और कुछ और भी माननीय सदस्यों ने दिया और कुछ व्यक्तिगत रूप से भी मुझे सलाह दी, उनकी सलाह के लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। केवल इतना अर्ज करूंगा कि गत वर्ष जो भी काम यहां हुआ वह सभी की सलाह से हुआ, केवल मेरी राय से या मेरे दल की राय से नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि दो बार मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि सदन की सेवा बहैसियत नेता विरोधी दल के करूं। मुझ कोई ऐसा समय याद नहीं आता है कि विरोधी दल के सम्बन्ध में जो परम्परायें है उनको कायम करने में मेरा हिस्सा कम रहा हो या मैं किसी मौके पर चूक गया होऊं। श्रीमान को और आदरणीय सदन को याद होगा कि पिछली बैठक में समय का बंटन हुआ था। विरोधी दल को कितना समय मिले और बहुमत को कितना, किस अनुपात से मिले, इसलिये कि उधर के लोगों की संख्या ज्यादा है। उस समय इस प्रश्न को उपस्थित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ था और आपकी आज्ञा से यहां यह प्रथा कायम हुई थी कि अपोजीशन को उतना ही समय मिले जितना बहुमत दल को मिले और संख्या का अनुपात न माना जाय। मैंने उस समय आप की आज्ञा से जैनिंग्स को भी पेश किया था और दूसरे हवाले भी दिये थे।

मेरे किसी व्यवहार से किसी को कोई ऐसी झलक आई हो कि वह पार्लियामेंटरी पद्धतियों के अनुसार न रहा हो तो मुझे दुख है, लेकिन मेरा तो सदा ही यह प्रयत्न रहा है कि यहां स्वस्थ परम्परायें संसदीय प्रथा के अनुसार कायम हों, चाहे विरोधी दल में हम हों या कोई और हो। मेरा तो जहां तक सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द वह समय आने वाला है जब हम इधर के बजाय उधर बैठेंगे। लेकिन उस वक्त भी मेरी हमेशा यह कोशिश रहेगी कि विरोधी दल के अधिकारों में किसी तरह की कमी न हो। जहां तक माननीय राजनारायण जी का ताल्लुक है उनको तो कांग्रेस का भूत सताता है मुझे तो वह सताता नहीं। यह हो सकता है कि उन्हें वही गौरव प्राप्त हो जो मुझे प्राप्त है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इस समय अधिकतर यही राय मालूम होती है कि इसका सदन में अभी फैसला न हो और सदन के बाहर ही पहले इस पर विचार हो जाय। यह फैसला आप ही पहले कर लें। मैं प्रश्न को वापस लेने के लिये नहीं कहता, सिर्फ इस वक्त फैसला न होकर पहले बाहर इस पर विचार हो जाय, यह चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सदन का और आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बोलन का अवसर विरोधी दल की संख्या पर सदस्यों को न दिया जाय बल्कि यह सदन में शीर्षासन लगाने पर रहे और अपने तरीके पर सदन में जो चाहे, खड़े हो कर बोलने लगे। इस तरह की बात निश्चय ही श्री राज नारायण जी की माननी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अब बजट पर वादविवाद चलेगा। समय के निर्धारण के बारे में जो सुझाव हों वह बता दें।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, जब तक इस सम्बन्ध में कोई स्वस्थ परम्परा नहीं कायम होती मैं किसी भी वादविवाद में हिस्सा लेने में अपने को असमर्थ पाता हूं ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक : २७--न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं राज्यपाल (गवर्नर) महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन--लेखा शीर्षक: २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,४६,२८,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मंत्री जी ने अनुदान को प्रस्तुत करते हुये यह कहा कि राज्यपाल, गवर्नर की आज्ञा से, तो क्या इन दोनों शब्दों के प्रयोग के बिना काम नहीं चल सकता है ? राज्यपाल भी कहा जाय और गवर्नर भी कहा जाय, क्या केवल राज्यपाल काफी नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष--काफी तो हो सकता है । अब सिर्फ प्रश्न यह है कि अगर सबको खुश करना है तो दोनों भाषाओं में नाम ले लेते हैं । यह भी ठीक है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, नाराज कौन होता है ?

श्री अध्यक्ष--यह आपको स्वयं समझ लेना चाहिये । अक्लमंदों को इशारा काफी होता है ।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अनुदान पेश करते हुये कोई बहुत बातें माननीय सदस्यों को नहीं बतानी हैं ।

जहां तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है करीब-करीब वही हालत है । कोई ऐसी बात इसमें नहीं है जिसमें पिछले साल से और अब के साल में फर्क हुआ हो । बाज-बाज आइटम्स हैं जिनकी तरफ मैं खास तवज्जह मबजूल करना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि बांदा में एक जजशिप कायम होने जा रही है और उसके लिये ५६ हजार १ सौ रुपये का अनुदान रखा गया है । एक दूसरी चीज यह है कि जो बिजनौर, बलिया, खीरी, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में जजिया कायम थीं वह अब मुस्तकिल करने जा रहे हैं । उसके लिये कोई खर्च का इजाफा तो नहीं है, लेकिन जो पुराना खर्चा था ६० हजार का उसको परमानेंट करने की नीति है । इसी के साथ-साथ एक लाख रुपया इस गरज से रखा जा रहा है कि जो हमारी अदालतों में खास कर दीवानी अदालतों में फर्नीचर निहायत बुरी हालत में है और लोगों को बहुत असुविधा होती है उसको रफा करने के लिये एक लाख रुपये का खास इन्तजाम किया गया है । यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत से जिलों में जो हमारी दीवानी अदालतें हैं उनकी इमारतें इतनी बुरी हालत में हैं कि उनमें अक्सर जगहों पर मुंसिफ और जजों के बैठने का भी ठिकाना नहीं होता है । कई जगह यह है कि एक छोटी सी कोठरी है जिसमें रोशनदान तक नहीं हैं । उसमें काम करते हैं चुनांचे कई साल से हम इस बात के लिये रुपया जितना जरूरी खर्चों से बच जाता है इस काम के लिये रखते हैं । अबके साल भी चार लाख रुपया मखसूस इस काम के लिये रखा गया है जिसके जरिये से उम्मीद है कि कुछ थोड़ी सी इमारतों को जो ज्यादा खराब हैं, उनको दुरुस्त किया जायगा और नयी इमारतें बनायी जा सकेंगी ।

सबसे बड़ी जो हमारे सूबे की प्राबलम है जहां तक जुडीशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है वह यह है कि हमारे यहां मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ गयी है । उसका फैसला जितनी जल्दी होना चाहिये उतनी जल्दी नहीं होता है । अब मैं इसमें मिसाल दूं आपको । हाईकोर्ट में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ४१,५०२ अपीलें पेंडिंग थीं जिनका फैसला अभी नहीं हुआ

महंगा सौदा उसके लिये होता है । कोई लाठी से मारा जाय और गरीब आदमी है, कोर्ट फीस के लिये उसके पास पैसा नही है तो उस आदमी की सुनवाई अदालत में लाठी की चोटों के लिये नहीं हो सकती । डाक्टरी सर्टिफिकेट अगर वह लेना चाहे तो उसके लिये न मालूम कितना पैसा खर्च करना होगा तब जाकर वह डाक्टरी सर्टिफिकेट पा सकता है । तो इस दरिद्र देश में जहां न्याय इतना मंहगा हो और न्याय पाने के लिये इतने कष्टों को सहन करना पड़े, कचहरियों में घूमते २ सारे कर्म हो जायं और फिर भी न्याय न मिले तो फिर कौन सा तरीका अख्तियार किया जाय ।

थोड़ी देर के लिये मान लीजिये किसी आदमी की जमानत लेना है । दरख्वास्त दे दी, लेकिन जमानत मंजूर होने के कई तरीके हैं । एक तो अहलकारों की अगर अच्छी सेवा कर दी तो फौरन जमानत मंजूर हो गयी । अगर सेवा न हो पायी तो फिर वेरीफिकेशन की रिपोर्ट चाहिये । वेरीफिकेशन के लिये तहसील जाइये । तहसीलदार इतना मजबूर है कि वह बिना कानूनगो के कुछ लिख नहीं सकता । कानूनगो के पास जाइये तो वह विवश है, बगैर लेखपाल की इमदाद के वह कुछ लिख नहीं सकता । इस तरह से जब लेखपाल से जमानत तसदीक हो गयी तो फिर कानूनगो के पास आइये, कानूनगो से तहसीलदार के पास आइये, तब जाकर कचेहरी में पहुंचिये । तो आपको जमानत लेने के लिये काफी रुपये खर्च करने होंगे और १०-१५ दिन का समय लग जायगा ।

श्री अध्यक्ष—(श्री बलदेव सिंह से) अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा ।

मुझे एक सूचना देनी है । आज ४ अनुदान हैं और अभी तक कोई सुझाव नहीं आया कि कितना-कितना समय माननीय सदस्य उन पर लेना चाहेंगे । तो मैं निश्चित किये देता हूं । सवा ३ बजे तक यह अनुदान संख्या १५ खत्म हो जानी चाहिये । फिर उसके बाद अनुदान संख्या २१, २३ और ४५ एक साथ लिये जायेंगे और वे ५ बजे तक या जब तक सदन बैठे तब तक चलेंगे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बलदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके पूर्व मंत्री जी को कुछ अपने सुझाव दे रहा था कि आजकल जो न्यायालयों में दिक्कत है, जो भ्रष्टाचार है उसको किस तरीके से दूर करें । हमने जमानत के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मंत्री महोदय को दिये थे । आज कल अदालतों में कुछ ऐसी दिक्कत पैदा हो रही है कि किसी हाईकोर्ट में यह निर्णय हो गया कि जो कार्यवाही शिनाख्त जेल के बाहर होती है वह ठीक नहीं मानी जाती । लिहाजा आज अगर कोई मुल्जिम जमानत की दरख्वास्त दे मामूली दफा में, मैं श्रीमन्, आपको बतलाऊं कि हमारा एक आदमी गिरफ्तार हुआ ३२३ दफा में, पुलिस ने रिपोर्ट लिख दी कि कार्यवाही शिनाख्त होगी और वह महीने भर तक इसलिए नहीं छूटा कि कार्यवाही शिनाख्त नहीं हुई । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह कोई एक दो में नहीं, ५० प्रतिशत मुकदमें ऐसे जरूर हैं कि जिन पर यह रिपोर्ट लगायी जाती है कि कार्यवाही शिनाख्त होगी और उसकी जमनात नहीं होती, लेकिन जब वह व्यक्ति काफी सेवा और पूजा कर लेता है तो उसकी बेल की दरख्वास्त पर लिख दिया जाता है कि कार्यवाही शिनाख्त की जरूरत नहीं है—गवाहान नहीं मिल रहे हैं । तो यह एक कमाई का जरिया बन गया है । मुझे खेद है कि न्याय मंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर भी मैं कहे जा रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय न्याय मंत्री जी ! उनको शिकायत है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है ।

श्री सैयद अली जहीर—बहुत से लोग यह सब सुन रहे हैं ।

श्री बलदेव सिंह—श्रीमन्, यह मुझे न्याय मंत्री से खास तौर से कहना है और मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि आप जान लीजिये कि जिस बेलेबिल आफेंस में चालान होता है तो थाने पर जमानत नहीं ली जाती और लिख दिया जाता है कि जमानत देने में कासिर रहा, लिहाजा जेल रवाना किया जा रहा है। वही आदमी कचहरी में पहुंच कर सैकड़ों रुपया खर्च करके जमानत कराता है, तो क्या इसका यह सबूत नहीं है कि वह थाने पर जरूर जमानत देना चाहता था, लेकिन नहीं ली गयी ? इस लिए अगर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो और लोग कम सताये जायं, न्याय सही हो तो इस चीज का निश्चित आदेश देना पड़ेगा कि बेलेबिल आफेंस में थाने पर जरूर जमानत ले ली जाया करे।

दूसरा प्रश्न श्रीमन्, यह है कि इस सदन का बार-बार हर व्यक्ति यह कह रहा है कि जुडीशियरी अलग हो, हाईकोर्ट के मातहत हो। लेकिन मंत्री जी को न मालूम कौन दिक्कत पैदा हो रही है ? या तो यह दिक्कत हो रही होगी कि शायद वहां हमारी कम सुनी जायगी, या कोई और कठिनाई हो, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि उसे क्यों नहीं अलग करते।

तीसरे, मैं वही कह रहा हूं जो रात-दिन दिक्कत है। किसी के ऊपर मुकदमा चला। ४ गवाह, ६ गवाह लेकर कचहरी में बेचारा जाता है और शाम तक बैठे रहते हैं और शाम को तारीख मिल जाती है। इसी तरह से दो-दो साल हो जाते हैं और मुकदमा नहीं हो पाता। तो मेरा निश्चित सुझाव है मंत्री जी से कि जैसे सेशन्स जज के कोर्ट में मुकदमें लगते हैं कि एकदम से २, ३, ४ दिन के लिये मुकदमा लग जाता है और सारी शहादतें और सफाई एक साथ ले ली जाती है उसी तरीके से अदालतों को निश्चित आदेश हो जायं कि मुकदमें में तीन पेशी से अधिक नहीं लगनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपके ११ मिनट हो गये। मैं समझता हूं कि अब आप खत्म ही करें।

श्री बलदेव सिंह—श्रीमन्, मुझे ५ मिनट चाहिये बस।

एक बात मैं सरकारी वकीलों के बारे में कहूंगा। आज चाहे जिस इजलास पर जाइये मुकदमे धड़ाधड़ छूट रहे हैं। दिन दहाड़े कत्ल होते हैं, हजारों आदमियों के बीच में होते हैं, सरकार सबूत नहीं पेश कर पाती और मुकदमे छूट जाते हैं। उसका भी एक खासतौर से कारण बन गया है। आजकल जो सरकारी वकील हैं वे भी ऐसा मालूम होता है कि जैसे पोलिटिकल सफरर को पेन्शन दी जाती है वैसे ही कुछ पोलिटिकल आदमी हैं वे सरकारी वकील तैनात कर दिये गये हैं, न उनको कुछ आता है न जाता है और मुकदमें छूट जाते हैं। तो मेरा निश्चित सुझाव न्याय मंत्री जी को यह है कि सरकार योग्य व्यक्तियों को इस काम के लिये तैनात करे ताकि अदालत में ठीक से पैरवी हो सके। श्रीमन्, आपने भी टोक दिया और मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य हैं जो मुझसे सुन्दर तरीके से इस चीज को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एक बात मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसका एलान हर तरफ से किया जा रहा है कि रामराज्य देखने का संकल्प कांग्रेस कर चुकी है, तो क्या रामराज्य इसी तरीके से आयेगा ? वे स्वयं तसलीम करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर करेंगे जिसमें हाई कोर्ट का जज होगा। तो उन्होंने हाई कोर्ट के जज की जो बात कही तो ऐसा न हो कि २२ से २१ ही जज वहां रह जायं और मुकदमों की संख्या ४१ हजार से बढ़कर ५० हजार हो जाय। इसलिये एक अलग से जज उसके लिये मुकर्रर किया जाय।

मैं माननीय मंत्रीजी को उस जमाने की याद दिलाता हूं जब इस देश में खलीफा हारूं रशीद, राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का न्याय होता था और जहांगीर का घंटा बजता था। तब न्याय इतना मंहगा नहीं था। अब तो ऐसा मालूम होता है कि न्याय का व्यवसाय सरकार का खुला है, कोई आदमी चौगुना पैसा खर्च करे तब कहीं न्याय पा सकता है। इसलिये मन्त्री महोदय को मेरा निश्चित सुझाव है और दूसरे भाइयों से आशा है कि जो मैं नहीं कह सका हूं उसको वे जरूर प्रकाश में लायेंगे और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है अगर उसको दूर नहीं किया गया तो रामराज्य का संकल्प कभी भी पूरा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री बलदेव सिंह से) आप की कमी को पूरा करने के लिये मैंने एक रिटायर्ड जज साहब को मौका दे दिया है। माननीय हरिश्चन्द्र जी, आप १० मिनट बोलेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १० मिनट तो मेरे लिये बहुत कम होंगे। मैं इस सत्र में बोला ही नहीं हूं और अपना सब टाइम इसी के लिये रिजर्व रखा था। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ समय और देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—बोलिये, दो तीन मिनट और दे दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मन्त्री ने जो अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। न्याय एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके ऊपर किसी भी देश की पक्की जड़ रखी जा सकती है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन रहा है। क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र बन रहा है। उसका आधार न्याय के ऊपर हो सकता है। यदि न्याय की जड़ खोखली हो जायगी तो यह सारी इमारत गिर जायगी। मैं यह समझता हूं कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर प्राणी तथा सरकार इस बात की कोशिश करे कि न्याय के अन्दर से लोगों का विश्वास उठने न पावे। यदि हम ऐसा करने में नाकामयाब होंगे तो जिस रामराज्य की हम कल्पना करते हैं और जिस रामराज्य का हम स्वप्न देखते हैं, वह बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। आज माननीय मन्त्री जी ने जो आंकड़े रखे हैं उनसे पता चलता है कि लोगों की काफी तादाद में अपीलें और मुकदमें बिला सुने पड़े हुए हैं। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हजारों अन्डर ट्रायल्स जेल में बिना ट्रायल के बन्द हैं और साल डेढ साल से बन्द हैं। उसका कारण क्या है? हमारे यहां मुकदमें तय नहीं हो रहे हैं। अपीलें तय नहीं हो रही हैं। इससे क्या नतीजा निकलेगा? इससे यह नतीजा निकलेगा कि लोगों के अन्दर न्याय के प्रति विश्वास उठ जायगा और यदि यह विश्वास उठ गया तो हमारी स्थिति क्या होगी? हमारी स्थिति वैसे ही होगी जैसे कि जंगल में हुआ करती है। इसके बाद पुलिस स्टेट बनेगी और पुलिस स्टेट बनने के बाद नाजीइज्म या फैसिज्म जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज बनेगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि न्याय मन्त्री जी इस बात की कोशिश करें कि यह अनसरटेन्टी जो मुकदमों के मुताल्लिक फैल रही है उसको दूर किया जाय। यदि ऐसा नहीं होता है तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसके वास्ते मैं न्याय मन्त्री जी से यह कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आफिसर्स मुकर्रर किये जायं ताकि मुकदमे जल्दी से जल्दी तय हो सकें।

दूसरी चीज हम यह देखते हैं कि दिनदहाड़े डाके पड़ते हैं, कत्ल होते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का इनवेस्टिगेशन या एन्क्वायरी पुलिस की जानिब से नहीं होती है जिससे कि मुकदमा कामयाब हो सके। जज के ऊपर अक्सर यह दोष दिया जाता है कि वह मुल्जिम को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। जज तो कोशिश यह करते हैं कि मुकदमे में इन्साफ हो और जो आदमी जुर्म कर चुका है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाय, लेकिन वह यह पाता है कि उनके पास शहादत काफी नहीं है इसलिये उनको मुकदमा छोड़ना पड़ता है। जो सच्चे मुकदमे होते हैं उनमें से भी ५० फीसदी ऐसे मुकदमे होते हैं जो कि हाई-कोर्ट में जाकर अपील से छूट जाते हैं। इसके लिये सरकार को यह देखना पड़ेगा कि कहां गलती हो रही है और क्यों मुकदमे छूट रहे हैं, क्योंकि लोगों के अन्दर से विश्वास उठता जा रहा है। अगर कत्ल करने वाला आदमी सजा नहीं पायेगा तो रिवेन्ज की स्पिरिट दूसरी पार्टी में पैदा होती है और वह फिर जाकर कत्ल करता है। इसलिये मैं न्याय मन्त्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह जो करप्शन के लिये एन्क्वायरी कराने जा रहे हैं उस से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि इस किस्म का एक कमीशन ऐप्वाइंट कराया जाय कि जो पता लगा सके कि जड़ में खोखलापन कहां है और क्यों इन्साफ नहीं हो पा रहा है और क्यों मुकदमे छूट रहे हैं।

देती है। माननीय सदस्य उससे परिचित हैं। जिस देश का न्याय पैसे में बिकता हो वहां यह आशा करना कि हम सस्ता और सुलभ न्याय आम जनता को पहुंचा सकेंगे, मैं समझता हूं कि यह कोरी कल्पना की बात है। कोई आदमी अगर धनीमानी है, बड़ा आदमी है, वह कितना ही बड़े से बड़ा जुर्म करता है, उसकी सुनवाई हो जाती है, न्याय को पैसे में वह खरीद लेता है। लेकिन एक ईमानदार आदमी न्याय को अगर चाहे कि मिल जाय तो आज के जमाने में मुश्किल हो जाता है इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप न्याय को इतना सुलभ और सस्ता बनाने की कोशिश कीजिये ताकि जनता सचमुच समझे कि वह एक ऐसे राज के अन्दर रह रही है, एक ऐसे युग से चल रही है जिसमें न्याय भी सस्ता मिल रहा है।

मान्यवर, मैं देखता हूं कि जो जुडिशियल अफसर हैं उनको इतना ज्यादा काम दे दिया जाता है, पुलिस के जितने मुकदमे हैं दफा १०७, १५१ के सब उनको ट्रांसफर कर दिये जाते हैं। वह कलेक्टर के अन्डर में होते ही हैं इसलिये वह उनके ऊपर शासन करता है। मैं समझता हूं कि न्याय सचमुच नहीं हो पाता है और जुडिशियल अफसर पुलिस के शिकार हो जाते हैं तथा पुलिस के इशारे पर चलते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करें, न्याय और शासन दोनों को अलग-अलग करें ताकि जनता सचमुच में न्याय पा सके।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि दिन दिन भर लोग कचहरियों में जा कर के परेशान होते हैं। हाकिम लोग ठीक समय से नहीं आते हैं। पेशकार दोनों तरफ से पैसा लेता है। उसके लिये कोई सुनवाई नहीं होती है, और मुकदमों में तारीखें डाल देता है। मैंने देखा हाकिम लोग आते हैं और लंच रूम में बैठते हैं, पेशकार लोग गवाहों का बयान लेते हैं। इस तरह की धांधली कचहरियों में हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर निगरानी रखें।

कचहरियों में लोगों के बैठने के लिये कोई विशेष इंतजाम नहीं है, बरसात में लोग आतें हैं, भीगते हैं, परेशान होते हैं। इसलिये जहां कचहरियां हैं वहां कम से कम छायादार इंतजाम करें जिससे लोग आराम से बैठ सकें।

अब मुझे जजों की नियुक्ति के बारे में कुछ कहना है। मैंने देखा है, ऐसे बहुत से जज हमारे सूबे में हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज भी वे अपने पदों पर बने हैं और काम कर रहे हैं, उनसे भी जनता को संतुष्टि नहीं है, उनको इतनी जानकारी भी नहीं है। लंच रूम में बैठते हैं, लोग परेशान होते हैं और वकील लोग मजाक उड़ाते हैं और काम नहीं करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसे लोगों से जनता को कम से कम राहत दिलाने की कोशिश करें और जजों का चुनाव करायें ताकि उनके अन्दर अच्छी जानकारी हो और जनता को सचमुच न्याय वह दे सकें।

एक बात और मुझे कहनी है। जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री सीताराम शुक्ल जी ने कहा कि आनरेरी मजिस्ट्रेट रख दिये जायं, मैं समझता हूं कि इनसे कोई कल्याण जनता का नहीं होता है। उनके जरिये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कचहरियों के अन्दर हो रहा है और हमारी जो सरकार है इसके भी संबंध में मैं तो समझता हूं और स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लगाव भाई भतीजावाद संबंधियों की तरफ इशारें पर चलना, यह सब है। उदाहरण के लिये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कह देना चाहता हूं कि हरदोई में एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट थे जनता की शिकायत पर उनकी जांच वहां के डी० एम० ने की, उनके खिलाफ सरकार को रिपोर्ट दी। सरकार ने उनको बरखास्त कर दिया। लेकिन फिर सिफारिश हुई और अब सरकार ने उनको फिर मुकर्रर कर दिया है। वे हरदोई में बिलग्राम के स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं उनके खिलाफ जनता ने लाखों शिकायतें कीं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

सिस्टम आफ जस्टिस नहीं बदलता तब तक इंसाफ भी नहीं मिल सकेगा । सन् १९३७ में माननीय जवाहर लाल जी ने यह बात कही थी कि हमें कोई अंग्रेज कौम से दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी है तो सिस्टम आफ गवर्नमेंट से है । तो असल में सिस्टम आफ जस्टिस को चेंज करना चाहिए और वह सूरत व शक्ल अख्तियार करनी चाहिए जिससे इंसाफ सस्ता और जल्द मिल सके । अब इंसाफ का जहां तक तरीका है इसके लिये पंचायतें भी हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है, एस० डी० ओ०, मुंसिफ, जज और हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन क्या कोई इससे इन्कार कर सकता है कि ८, १०, १५ साल तक भी मुकदमों का फैसला नहीं होता । यह उस सिस्टम का कसूर है जिससे इंसाफ हासिल किया जाता है । काश कि वह सिस्टम न रहे और कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जाय जिससे आसानी से इन्साफ मिल सके तो वह ज्यादा मुफीद और कारगर हो सकता है । आज हमारे इन्साफ का तरीका वही है जो यहां पर अंग्रेज छोड़ गये थे ।

तीसरी चीज एक और भी है कि जुडिशियल आफिसर जितने हैं उनको जहां तक मुझको मालूम है एक और दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जब तक पुलिस की रिपोर्ट न हो, तब तक वह कनफर्म नहीं होते । तो यह भी उनके सामने एक दिक्कत हो सकती है जिससे वह सही माने में इंसाफ नहीं कर सकते हों । कोई बजह नहीं कि हम उनकी नीयत पर शुबहा करें । अगर कोई प्रबंध इस प्रकार का शक पैदा करने का मौका देता है तो उसे मिटा दिया जाय तो फिर इंसाफ पर पूरा भरोसा हो सकता है । इस तरफ कड़ी निगाह होनी चाहिए कि मुकदमें के फैसले होने में ३-३ साल का वक्त सर्फ न हो । उसके लिये कई और वजह भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इस तरफ खास तौर से गौर होने की जरूरत है ।

जनाबवाला, मैं अपनी तकरीर को समाप्त करते हुए न्याय मंत्री को, जहां तक कि उन्होंने इन्साफ में तरक्की की है, बधाई देता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया । अब मैं माननीय मदन पांडेय को बोलने का अवसर तभी दे सकता हूं जब श्री बलदेव सिंह न बोलें । यदि ऐसा हो सके तो आप ४-५ मिनट बोल लें ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से राम राज्य और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का दम भरने वाली सरकार के न्याय मंत्री के बजट पर मुझे भी ५ मिनट का मौका विचार करने का मिला । यह लक्ष्मणपुरी है, राम के भाई की राजधानी और यहां पर राम राज्य का दम भरने वाली सरकार के पेश किये हुए बजट को देखने पर मुझे कोई ऐसी योजना नहीं मालूम पड़ी जिससे न्याय सस्ता मालूम पड़े । यह वह जगह है जहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां का राम जैसा राजा होता था । उसको अपनी रानी सीता को बनवास देने के लिये किसी भी प्रजा की तरफ से पेटीशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के द्वारा प्रजा के विचारों का पता लगा कर अपनी रानी को १४ साल का बनवास देकर जंगल में भिजवाया । इसलिये और अधिक न कह कर माननीय न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि आप अपने जमाने में न्याय सस्ता करने के लिये कोई क्रान्तिकारी कदम उठाइये ।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि दुर्मुख नाम के गुप्तचर का नाम मैंने इसलिये लिया है कि अब भी यहां बहुत से चुनाव पेटीशन वाले बैठे हुए हैं और वह जिन अदालतों में जाते हैं वहां के पेशकार अगर और कुछ नहीं कहते तो यह जरूर कहते हैं कि हमारा भी पेट है, यह कहकर उनके सामने हाथ फैला देते होंगे । यह अन्तिम पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार की कि एम० पी० और एम० एल० ए० के सामने भी वे हाथ फैला देते हैं । इसको रोकने के लिये कोई योजना, इस ग्रांट में जो विवरण दिया गया है, उसमें नहीं दी गयी है । मैं माननीय न्याय मंत्री से कहूंगा कि आप चाणक्य नीति उठा कर देखिये । उसमें न्याय के लिये जिस तरह की व्यवस्था

[श्री उग्रसेन]

इस्तेमाल करें। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग से कितनी गांव पंचायतों को पौधों की बीमारी मारने की दवा दी यह भी नहीं हुआ दूसरी बात प्लान में लिखी हुई है, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट प्लान की सिफारिश है कि हर गांव पंचायत में ऐग्रीकल्चर का एक प्लान बनाना चाहिए। एक पूरा खाका होना चाहिए जिससे मालूम हो सके कि क्या क्या काम हुआ। पीकिंग के अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक किसान के खेतों का बीज का डिसइन-फेक्शन नहीं हुआ तो उसने लेटर टु दि एडीटर लिखा और वहां की सरकार ने बड़ी सख्ती से काम लिया।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्ला। यह जो केन डिपार्टमेंट है, किसानों का शोषण कर रहा है और केन कमिश्नर आफिस पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। इससे पूर्वी जिलों के लोग तबाह हैं। श्रीमन्, यह बुलेटिन है, सरकार से छपायी है। सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर ने नहीं छपायी है। इससे साफ जाहिर है कि गन्ने का एकरेज बढ़ा रहे हैं। तो विकास किस बात का? किस लिए केन डेवलपमेंट? अगर आप एकरेज बढ़ाते हैं, वह उत्तर प्रदेश जो देश की चीनी की मांग का ५० प्रतिशत पूरा करता है, उसमें अगर एकरेज बढ़ा कर गन्ना पैदा करते हों तो डेवलप-मेंट का नाम खत्म हो जाना चाहिए। सरदारनगर की बात बताऊं। एक ए० सी० डी० ओ० साहब थे। वह सरदार साहब का गन्ना कटवा कर हड़ताल तुड़वा रहे थे। सी० डी० ओ० साहब ने कहा कि हम लोग पूंजीपतियों की बात सुनने के लिए मजबूर हैं।

केन सोसाइटियों की यह हालत है कि हमारी बरहज की कोआपरेटिव सोसाइटी का रुपया बाकी है लेकिन मिल-मालिक नहीं देता। कोआपरेटिव सोसाइटियों का लाखों रुपया कमीशन का मिल मालिकों पर बाकी है, माननीय मंत्री जी बताएं कि वह क्यों नहीं मिलता है। १९४९ में दुअन्नी काटी गयी। उसके लिए हम नौ सौ आदमी जेल में गये। अभी तक वह वापस नहीं हुआ। नवाबगंज में एक शुगरकेन फैक्टरी है। २८ लाख मन गन्ना नबावगंज यूनियन को ऐलाटेड था। उसको बहराइच का गन्ना दे दिया गया। हमारे यहां आवेदन-पत्र आया है कि बहराइच का गन्ना ले रहे हैं। यह भी माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह गन्ने के काश्तकार कहां जायंगे।

अगर एक हाउस स्कैंडल है तो दूसरी ओर मैं कृषि विभाग के स्कैंडल की तरफ ले जाना चाहता हूं। कानपुर में कृषि इंजीनियर साहब की स्टोर से चालीस ट्रक लोड छः इंची पाइप गायब है। तीन साल से गायब है। माननीय मंत्री जी उसकी जांच करें। दो इंजीनियर वहां ६ वर्ष से पड़े हुए हैं। वह वहां से हटने का नाम नहीं लेते हैं। एक डिप्टी डाइरेक्टर मेकेनाइज्ड फार्मों के बनाये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी एफिशियेंसी उन्होंने बढ़ायी। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कृषि इंजीनियरिंग विभाग के ४० ट्रक लोड ६ इंची पाइप चले गये। दो दो सन्तरी वहां रहते हैं, पता नहीं कैसे वह गायब हो गये।

दूसरी बात सर्विस वन टू और नीचे के ग्रेड्स के लोगों के प्रोमोशन का क्या तरीका है? भाई भतीजावाद यहां फैला हुआ है। चालीस चालीस ट्रक लोड पाइप का पता नहीं चलता है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है जबकि रोडवेज का बस कंडक्टर एक पैसे के लिए डिस्मिस कर दिया जाता है। अभी हमारे माननीय सदस्य रामस्वरूप वर्मा ने एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। कई लाख का घाटा सरकारी फार्मों में है। यह घाटा किस तरह से हो रहा है? मेरे पास चाइना की एक किताब है, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर दो मिनट दे दें तो मैं उसमें से एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक मिनट आपका है।

[श्री महीलाल]

पशुओं के बाजारों के सिलसिले में एक विधेयक बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस बिल को जल्दी से जल्दी हाउस के सामने लाये।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान किसी डिटेल की ओर आकर्षित करूं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहता हूं कि पहले सरकार और विशेषकर माननीय कृषि मन्त्री महोदय इस बात को बताने की कृपा करें कि इस सरकार की आखिरी और अन्तिम रूप से कोआपरेटिव फार्मिंग या पिजेन्ट प्रोपराइटर टिनेन्ट के बारे में क्या नीति होगी। मान्यवर, वह सरकार जिसके मन्त्री जो विराजमान हैं और माल मन्त्री महोदय तो इस समय विराजमान नहीं हैं लेकिन कभी उस पद पर ये विराजमान थे तो वह भी इन सब बातों को जानते हैं। यह एक नीति की बात है। इस नीति के सम्बन्ध में सरकार को निश्चयात्मक निर्णय लेना होगा जिससे हम किसान यह समझ सकें कि भविष्य में हमको क्या करना है और हमारा क्या भाग्य होगा। इस विषय में जो मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं उनको अन्तिम निर्णय लेना होगा या अपने को अयोग्य बतलाना होगा। मैं महीलाल जी से सहमत हूं। यहां पर केन कमिश्नर साहब रहते हैं। अगर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर डिप्टी केन कमिश्नर रख दिये जायं तो हम किसानों को बहुत सहूलियत हो जाय। इसलिये यह हमारा सुझाव है और इस पर मन्त्री जी गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

मान्यवर, यही नहीं, मुझे यह भी निवेदन करना है कि इस में दो राय नहीं हो सकतीं कि भारतवर्ष को उन्नति करना है या दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है; तो माननीय कृषि मन्त्री को यह स्मरण रखना चाहिये कि कृषि में उनको उन्नति करनी होगी। लेकिन खूबी क्या है, वह यह है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ इस बात को कहा जाता है कि अगर ट्रैक्टर से जोता जाय तो उससे अन्न अधिक उपजाया जा सकता है। श्रीमन्, ट्रैक्टर खरीदने के लिये न तहसीलदार तकावी देते हैं और न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उन के सामने पहले उसकी वसूली हो सकती है या नहीं, यह सवाल रहता है। यहां तो बैल भी ऐसे नहीं हैं कि जिनके कंधों पर आप आज कल के ईजाद किये हुए नये इंप्लीमेंट्स रख सकें। अगर रख दें तो वह बैठ जायेंगे। कृषि मन्त्री जी भी किसान हैं और हमारे बुजुर्ग हैं। उनको देखते हुए मैं संभवतः उनका साफन और खूबियां तो न ला सकूं अपने में वह मुझसे अधिक विधान सभा के मेम्बर भी रह चुके हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग महोदय से इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि आज खाद उस समय दी जाती है कि जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। आज पानी फसल सूख जाने के बाद दिया जाता है। तकावी मिलने में इतनी दिक्कतें होती हैं कि जिनका कुछ कहना ही नहीं। जब तक लेखपाल और कानूनगो की जेबें अच्छी तरह से न भरी जायं, तकावी मिलती ही नहीं। कहीं भी जायं, इन से छुटकारा नहीं मिलता। यह ठीक है कि यहां से आदेश जाते हैं, यहां ९ बजे रात तक काम होता है, सारी बुद्धिमत्ता यहां सीमित है, लेकिन इस बात को मानते हुए भी मैं उन से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार इस बात को देखे कि जो चीज हम किसानों को देते हैं वह ठीक ढंग से उन तक पहुंचती है या नहीं।

कोआर्डिनेशन के नाम पर, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से अधिकारों का अपहरण हो जाता है। यहां से सब विभागों को लिखा जाता है और फिर जब एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है तो उस सिलसिले में इतनी देर लगती है कि सारे काम की बरबादी हो जाती है और वह बेकार हो जाती है। यह सर्विसेज इतनी अधिक बुद्धिमान हो गयी हैं कि ट्रेजरी बेंचेज भी अब उनका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। यह सिविल सर्विसेज किस हद तक पहुंचेंगी इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन दुःख तब होता है जब मैं पाता हूं कि ट्रेजरी बेंचेज भी उन्हीं की आंखों से देखने लगी है, उनके चश्मे से जिसमें पावर न माईनस की है और न प्लस की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसी वजह से उतार दिया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---इस के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वह ठीक है। उसमें पूर्वी जिलों के लिये जहां बाढ़ अधिक आती है, आप कोई ऐसी फसल तजवीज कीजिये कि जिसे वह बाढ़ आने के पहले उगा सकें। मैं तो त्रिशंकु की तरह से बीच में हूं, न पूर्व में न पश्चिम में, लेकिन उनके लिये यह आवश्यक है। अगर आप एक प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते तो उनकी समस्या आप सुलझा नहीं पायेंगे। मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोगों ने हमारी बातों का समर्थन किया है। कृषि विभाग द्वारा गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा है और न अन्न का उत्पादन ही बढ़ा है। कृषि इंजीनियरिंग में ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन्स हैं जो बहुत सा काम करते हैं। गत साल और दूसरे साल भी एक जांच कमेटी की मांग की गयी थी कि इस विभाग की गोलमाल को देखा जाय। यह लेखा परीक्षा आडिट रिपोर्ट सन् १९५७-५८ की है। ८१,७६,८९३ रुपये के वाउचर्स और कितनी रकम की रसीदें गायब हो गईं और कितनी सम्पत्ति का कोई निराकरण नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगा कि १, २ और ३ ग्रेड के कृषि विभाग के कर्मचारियों के प्रोमोशन और ग्रेडेशन रूल्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं। ९ करोड़ रुपया रासायनिक खाद के लिये और १ करोड़ रुपया हरी खाद के लिये मांगा गया है लेकिन होना चाहिये इसका उल्टा। देवरिया गरीब जिला है और वहां यदि हरी खाद को प्रोत्साहन मिले तो उपज बहुत बढ़ सकती है।

मेरे १ रुपये के कटौती के प्रस्ताव से मन्त्री जी का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसे उन्हें मान लेना चाहिये। इससे प्रदेश के किसानों के साथ और सबके साथ न्याय होगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं। जो यहां नहीं दे सके हैं वे हमारे कमरे में आकर दे दें, उन पर गौर किया जायगा। उग्रसेन जी ने कहा कि १ रुपये में सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बदनामी तो हो सकती है। इसलिये वह अपनी १ रुपये की मांग पर जिद मत करें।

कृषि इंजीनियरिंग के बारे में मेरे मित्र ने कहा कि इसमें गोलमाल है; यह नहीं बताया कि किस बात की है। हमारे इस विभाग के कारोबार में कोई गोलमाल नहीं है। आडिट आब्जेक्शन्स को थारोली एग्जामिन किया जायगा और मुनासिब कार्यवाही की जायगी। वह सरकार के जेरेगौर हैं।

मेरे मित्र ने कुछ आंकड़े भी पेश किये। मेरे पास भी आंकड़े हैं और पेश कर सकता हूं। लेकिन आंकड़ों के बारे में अक्सर कह दिया जाता है कि गलत हैं और विश्वास के काबिल नहीं हैं। इसलिये मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा हुआ है और टोटल पैदावार में भी इजाफा हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी वस्तु-स्थिति बताना चाहता हूं जिसे हम और आप रोजाना देखते हैं। उसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। क्या हमारे गांव की हालत सुधरी नहीं है? हमारे बहुत से मित्र कह देते हैं कि परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गयी। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। यह वाकया भुखमरी के नारे में छिप नहीं सकता है। यह ऐसी चीज है जो सड़क पर दिखाई पड़ती है। (व्यवधान)। मैं समझ गया कि जूता काटने लगा। मैं आप को निमंत्रण देता हूं

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जवाब नहीं होगा। इसलिये हम ज्यादा खर्च नहीं बढ़ाना चाहते। बड़ों को मिलता है, छोटों को नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। सब जगह तो ऐसा नहीं है मुरादाबाद की कोई खास बात हो तो मैं नहीं कह सकता। हम कोशिश करते हैं और भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि चाहे बड़ों को न मिले लेकिन गरीबों के पास जरूर पहुंचे। माननीय अवधेश प्रताप जी को या मदन पांडेय जी को चाहे न मिले वह तो खुद मुहइया कर सकते हैं। अब लाल झंडी हो गई, कहनी तो बहुत सी बातें थीं लेकिन समय नहीं रहा वर्ना कहता। लिहाजा अब मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन अनुदानों को स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१, २३ और ४५ की वर्तमान धनराशि में एक एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन---मैं डिवीजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप निर्णय से पहले कहा करें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१---कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और खोज---लेखा शीर्षक: ४०---कृषि के अन्तर्गत ३,४७,४०,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह अनुदान पास न हों सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---डिवीजन के बीच में कोई प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है, आप बाद में पेश करें।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---८३,
विपक्ष में---१५।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय उस वक्त तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि बाकी अनुदान पास न हो जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसका विरोध करता हूं क्योंकि आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि बार-बार सदन का समय नहीं बढ़ाया जा सकता और ५ बजे तक ही निश्चित रूप से सदन का समय रहेगा और अधिक समय नहीं बढ़ाया जायगा। इन कारणों पर प्रकाश डालते हुए चूंकि यह निश्चय सदन कर चुका है कि इसका समय नहीं बढ़ेगा इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---सदन अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है।

प्रश्न यह है कि सदन का समय उस वक्त तक बढ़ा दिया जाय जब तक इन अनुदानों पर मत न ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)